

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक

/2018 जिला-रायसेन

अपील/रायसेन/अबका/2018/0782

मेसर्स सोम डिस्टिलरीज प्रायवेट लिमिटेड,
सेहतगंज, जिला-रायसेन (म.प्र.)

-- अपीलार्थी

विरुद्ध

- 1- आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर
- 2- उपायुक्त, आबकारी संभागीय उडनदस्ता, भोपाल
- 3- जिला आबकारी अधिकारी जिला रायसेन
- 4- जिला आबकारी अधिकारी मेसर्स सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड सेहतगंज जिला रायसेन

-- प्रत्यर्थागण

न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2017-18/2788 में पारित आदेश दिनांक 03.06.2017 के विरुद्ध मध्य प्रदेश, आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

श्री. वि. चतुर्वेदी उच्च
द्वारा आज दि. 1-2-18 को
प्रस्तुत। मूलभूत तर्क हेतु
दिनांक 13-2-18 निवृत्त।

व. प्र.
जिला जज कोर्ट/1-2-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/रायसेन/आ.अ./2018/0782

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-12-2018	<p>अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में केवल अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)(सी) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/2788 में पारित आदेश दिनांक 3-6-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वर्ष 2015-16 हेतु आसवनी परिसर में देशी मदिरा की बॉटलिंग कर, उससे सम्बद्ध प्रदाय क्षेत्रों में थोक बोटलबंद देशी मदिरा प्रदाय करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्र क्रमांक 5(1)15-16/1415 दिनांक 20-4-2015 द्वारा अपीलार्थी कम्पनी का सी.एस. 1-बी लायसेंस का नवीनीकरण किया गया था। उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, भोपाल के प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई सेहतगंज जिला रायसेन में माह अप्रैल, 2015 से मार्च 2016 तक विभिन्न तिथियों पर रेक्टिफाइड स्पिरिट एवं माह मई 2015 से मार्च 2016 तक कई अवसरों पर बोटलबंद देशी मदिरा का निर्धारित न्यूनतम संग्रह नहीं रखा गया है, जबकि म.प्र. देशी स्पिरिट नियम, 1995 (जिसे संक्षेप में म.प्र. देशी स्पिरिट नियम कहा जायेगा) के नियम 4(4)(क) एवं सी.एस. 1-बी के अनुसार विगत माह के 7 दिनों के औसत प्रदाय के समतुल्य रेक्टिफाइड स्पिरिट एवं 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य बोटलबंद देशी मदिरा संग्रह रखना अनिवार्य है। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा की गई उक्त अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/2788 में दिनांक 3-6-2017 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्पिरिट नियमों के नियम 4(4) का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने से अपीलार्थी कम्पनी पर रुपये 20,000/- शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही, उक्त उल्लंघन लगातार चालू रहने के कारण प्रदाय संविदाकार पर सी.एस. 1-बी देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई में माह अप्रैल, 2015 से मार्च 2016 तक कुल 310 दिवस रेक्टिफाइड स्पिरिट तथा माह मई 2015 से मार्च 2016 तक 53 दिवस बोटलबंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने के कारण रुपये</p>	

100/- प्रतिदिन के मान से रूपये 36,300/- शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल 56,300/- रूपये जमा करने के आदेश दिये गये । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।


3/ उभय पक्ष द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए लिखित तर्क भी प्रस्तुत करने का निवेदन किये जाने पर उन्हें सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु उनके द्वारा नियत अवधि में लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किए गए हैं । अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का स्पष्ट जवाब प्रस्तुत किया गया था कि आसवक द्वारा उसे आबंटित समस्त 9 जिलों में देशी मदिरा का प्रदाय व्यव्था सुचारू रूप से की गई है, जिसके परिणामस्वरूप 20275422.75 प्रुफ लीटर देशी मदिरा का प्रदाय किया गया है, जिससे शासन को आय प्राप्त हुई है । आसवक द्वारा उक्त प्रदाय देने के उपरांत भी समस्त देशी मदिरा भाण्डागारों पर लगभग 148157 प्रुफ लीटर का अंतिम स्कंध के रूप में शेष है एवं सी.एस. 1-बी यूनिट सेहतगंज में लगभग 406711.25 प्रुफ लीटर का अंतिम स्कंध है । इस प्रकार कुल लगभग 1154868.25 प्रुफ लीटर देशी मदिरा का स्कंध अवशेष के रूप में संग्रह था । यह भी कहा गया कि फुटकर ठेकेदारों द्वारा मंदिरा दुकानें बंद रहने के कारण क्षतिपूर्ति की कोई मांग नहीं की गई है और न ही फुटकर ठेकेदारों को मांग अनुसार प्रदाय देने में कोई विलम्ब हुआ है । अतः अपीलार्थी कम्पनी पर चालान लंबित रहने संबंधी जो आरोप लगाये गये हैं, वह उचित नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा मदिरा प्रदाय की अनुमति की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं करने में भूल की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस प्रकरण में राज्य शासन को क्या हानि हुई, इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था, जो कि उनके द्वारा साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया गया है । अतः प्रमाण भार के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि म.प्र. देशी स्पिरिट नियमों के नियम 4(4)(क) एवं सी.एस. 1-बी के अनुसार विगत माह के 7 दिनों के औसत प्रदाय के समतुल्य रेक्ट्रीफाइड स्पिरिट एवं 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य बोटलबंद देशी मदिरा संग्रह

रखना अनिवार्य है, किन्तु अपीलार्थी कम्पनी द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्कंध विभिन्न तिथियों पर नहीं रखा जाना प्रमाणित है। अतः अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य नियम एवं लायसेंस की शर्त का स्पष्टतः उल्लंघन है। उपरोक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई सेहतगंज जिला रायसेन में माह अप्रैल, 2015 से मार्च 2016 तक विभिन्न तिथियों में, विगत माह के 7 दिनों के औसत प्रदाय के समतुल्य रेक्टिफाइड स्प्रिट एवं माह मई 2015 से मार्च 2016 तक की अवधि में कई अवसरों पर, विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य बोटलबंद देशी मदिरा संग्रह नहीं रखा गया है। म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4)(क) एवं सी.एस. 1-बी के अनुसार विगत माह के 7 दिनों के औसत प्रदाय के समतुल्य रेक्टिफाइड स्प्रिट एवं 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य बोटलबंद देशी मदिरा संग्रह रखना आवश्यक है। भले ही अपीलार्थी के उक्त कृत्य से शासन को राजस्व की हानि नहीं हुई हो, परन्तु अपीलार्थी कम्पनी को विहित वैधानिक व्यवस्था का पालन करना आवश्यक है। अतः अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) का उल्लंघन होकर नियम 12(1) के तहत दण्डनीय होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी पर 20,000/- रुपये शास्ति अधिरोपित करते हुए अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उपरोक्त अवधि में कुल 310 दिवस रेक्टिफाइड स्प्रिट तथा 53 दिवस बोटलबंद मदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने के कारण रुपये 100/- प्रतिदिन के मान से रुपये 36,300/- शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल 56,300/- रुपये जमा करने के जो आदेश दिये गये हैं, वह उचित होने से उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः इस संबंध में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है। दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 3-6-2017 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। अपील निरस्त की जाती है।




(मनोज गोयल)
अध्यक्ष